प्रेस विज्ञप्ति
19.11.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विशाखापत्तनम उप-आंचलिक कार्यालय ने फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) फिश टैंक ऋण लेकर आईडीबीआई बैंक को धोखा देने के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 1.44 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां वीएसकेडीएन सोमराजू की पत्नी के नाम पर हैं और इसमें आंध्र प्रदेश में कृषि भूमि, भूखंड और एक फ्लैट जैसी अचल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने सीबीआई, विशाखापत्तनम द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत कुमार पप्पू सिंह, कुसुमपुदी पुल्लमराजू, वनपल्ली वेणेश्वर राव, जोन्नाला जगनमोहन राव, वीएसकेडीएन सोमाराजू और अन्य के खिलाफ आईडीबीआई बैंक, पलंगी शाखा से 101 उधारकर्ताओं के नाम पर 74.99 करोड़ रुपये के केसीसी फिश टैंक ऋण को धोखाधड़ी से प्राप्त करने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि कुसुमपुडी पुल्लामराजू, वनपल्ली वेंकटेश्वर राव, जोनला जगनमोहन राव और वीएसकेडीएन सोमराजू ने 14 उधारकर्ताओं को स्वीकृत केसीसी फिश टैंक ऋण के लिए 'एग्रीगेटर' के रूप में काम किया और वे असली लाभार्थी थे। इन 4 एग्रीगेटर्स ने आईडीबीआई बैंक और अन्य के अधिकारियों के साथ साजिश रची और मुख्य रूप से अपने स्वयं के कर्मचारियों, रिश्तेदारों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के नाम पर जाली दस्तावेजों के बल पर 6.59 करोड़ रुपये के केसीसी फिश टैंक ऋण का लाभ उठाया, जो इस तरह के ऋण के लिए अयोग्य थे। इसके अलावा, ऋणों के प्रति प्रस्तावित संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्य मूल्यांकनकर्ताओं की मिलीभगत से अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया था। स्वीकृत केसीसी ऋण राशि को उधारकर्ताओं के खातों से एग्रीगेटर्स और अन्य व्यक्तियों के खातों में और एग्रीगेटर्स के निर्देशों पर नकद निकासी के माध्यम से भी डायवर्ट किया गया था। अन्यत्र उपयोग किए गए ऋणों का उपयोग एग्रीगेटर्स द्वारा उनके नाम पर अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर, उनके अन्य व्यवसायों में निवेश के लिए और पुराने ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किया गया था।

ईडी ने इससे पहले एक अन्य एग्रीगेटर कुमार पप्पू सिंह (87 उधारकर्ताओं के लिए एग्रीगेटर) के संबंध में 51.45 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियां कुर्क की थीं, जिसकी पुष्टि न्यायनिर्णन प्राधिकारी (पीएमएलए) ने की है। इसके अलावा, इस मामले में ईडी द्वारा 27.12.2022 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), विशाखापत्तनम के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है और माननीय न्यायालय द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है।

आगे की जांच प्रगति पर है।